

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ३४५। / २०२३

दिनांक : २३.११.२०२३

श्री आरुष त्रिपाठी (RJ01314), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) क्रम-०७, जयपुर महानगर-II को दिनांक 19.10.2023 से 20.10.2023 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री त्रिपाठी की अनुपरिथिति में विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) क्रम-०८, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) क्रम-०७, जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई।

आज्ञा से  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)  
23.11.2023

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/६६/२०२०/५५५५

दिनांक २३.११.२०२३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 5148 दिनांक 25.10.2023 के सन्दर्भ में।
- श्री आरुष त्रिपाठी (RJ01314), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) क्रम-०७, जयपुर महानगर-II
- विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) क्रम-०७, जयपुर महानगर-II
- विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) क्रम-०८, जयपुर महानगर-II

23.11.2023  
सहायक रजिस्ट्रार